2019/00252

फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री अनिल कुमार सुखवाल पिता राधेश्याम निवासी गांधीनगर विस्तार योजना, राजीव नगर, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, चित्तौड़गढ़

बनाम

उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार (संस्थाएँ) सहकारी विभाग, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 93/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल कुमार सुखवाल निवासी गांधीनगर विस्तार योजना, राजीव नगर, से. नं. 05, चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 08.07.2019 को उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत किया। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, उदयपुर, खण्ड उदयपुर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। 11/11/19 (चेतन देवड़ा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	11.11.19

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.01.13 19:43:10 IST
Reason: SelfAttested